

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, सहरसा।  
**बी0 सी0 सी0 ए0 वाद संख्या- 17/2020**  
**राज्य बनाम आशीष कुमार**  
**आदेश**

यह कार्यवाही अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने अपने पत्रांक-3224/अप्र0शा0 दिनांक-11.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आशीष कुमार, पिता- रमेश यादव, साकिन- मरिया, थाना- बसनही, जिला- सहरसा एक सक्रिय व कुख्यात अपराधकर्मी है। इनके द्वारा कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया गया है। इनका साठ गांठ कई सक्रिय अपराधकर्मियों के साथ है। इनके द्वारा किये गये अपराध से आमजनों में भययुक्त माहौल बना रहता है और इनके आतंक से लोग काफी भयभीत रहते हैं। वर्तमान में ये माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं। आगामी बिहार विधान सभा चुनाव- 2020 में ये विभिन्न दलों के साथ मिलकर अपनी दबंगता एवं अपराधिक गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे विधानसभा चुनाव 2020 को स्वच्छतम सम्पन्न कराने में व्यवधान पड़ने की संभावना बतायी गयी है। उक्त अपराधकर्मी को बाहर रहने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उक्त अपराधी भा0द0वि0 के अध्याय 16 एवं 17 में उल्लेखित दंडनीय अपराध में संलिप्त रहता है तथा अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 के धारा-2 (डी.) में वर्णित असामाजिक तत्व की परिभाषा इस पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत है।

- i. बसनही थाना काण्ड संख्या- 86/18 दिनांक- 22.08.2018 धारा- 25(1-बी)ए,26 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या- 111/18 दिनांक- 28.09.2018 समर्पित।
- ii. बसनही थाना काण्ड संख्या- 49/17 दिनांक- 09.06.2017 धारा- 341, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।
- iii. बसनही थाना काण्ड संख्या- 45/17 दिनांक- 04.06.2017 धारा- 307, 34 भा0द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या- 50/17 दिनांक- 02.08.2017 समर्पित।
- iv. बसनही थाना काण्ड संख्या- 25/17 दिनांक- 22.03.2017 धारा- 341, 307, 504, 354, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या- 16/17 दिनांक- 09.05.2017 समर्पित।

पुलिस को सूचना मिली कि आशीष कुमार असामाजिक तत्वों को एकत्र कर विधानसभा चुनाव 2020 में अपने समर्थित अभ्यर्थी के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई कि इनके द्वारा आगामी चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किये जाने की योजना बनाया जा रहा है, जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना



L

बनी हुई है। उक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से पत्रांक-435/न्याया0/सपत्र, दिनांक-17.09.2020 द्वारा नोटिश जारी कर प्रतिवादी को अपना कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु दिनांक- 25.09.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न निर्धारित की गई। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक-3754/अप०शा०, दिनांक-05.10.2020 से प्रतिवादी के नोटिश का तामिला प्रतिवेदन न्यायालय में उपलब्ध कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। प्रतिवादी नोटिस का तामिला प्राप्त कर भी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने बताया कि इन पर वर्णित काण्ड में जो आरोप है, वह गंभीर प्रकृति के है। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को छोड़ना न्यायहित एवं लोकहित में उचित नहीं है।

प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अन्तर्गत ये " असामाजिक तत्व " है तथा इसकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1981 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिस पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आशीष कुमार, पिता- रमेश यादव, साकिन- मरिया, थाना- बसनही, जिला- सहरसा को बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने अर्थात दिनांक- 10.11.2020 तक के लिए सहरसा जिला के थाना- बसनही से थाना- सौरबाजार के लिए थाना बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक- 14.10.2020 से सहरसा जिला के सौरबाजार थाना में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं 5.00 बजे अपराह्न से 8.00 बजे अपराह्न के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक- 07.11.2020 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे, तो उन्हें लिखित रूप से सूचना संबंधित थाना में व मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण व्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे।

थानाध्यक्ष, सौरबाजार को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में बसनही थाना से तड़ीपार किये गए आशीष कुमार, पिता- रमेश यादव, साकिन- मरिया, थाना- बसनही, जिला- सहरसा के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

	<p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा/ थानाध्यक्ष बसनही/थानाध्यक्ष सौरबाजार को भेजें।</p> <p>आशीष कुमार को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष बसनही को भेजें।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा सहरसा जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिये अग्रसारित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धिकृत</p> <p><i>Kaly</i> 13/10/2020 जिला दण्डाधिकारी, सहरसा।</p> <p><i>Kaly</i> 13/10/2020 जिला दण्डाधिकारी, सहरसा</p>
--	---

ज्ञापांक-640...../न्याया0, सहरसा, दिनांक-13.10.20

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा/थानाध्यक्ष बसनही/थानाध्यक्ष सौरबाजार/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आशीष कुमार, पिता- रमेश यादव, साकिन- मरिया, थाना- बसनही, जिला- सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।



*Kaly*  
13/10/2020  
जिला दण्डाधिकारी,  
सहरसा।